

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्ष 2016-17 में सूखा से खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री का वितरण हेतु निविदा/विज्ञापनों के बिलों के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनार्पण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-251/एक-10-2019-33(36)/2018 टीसी-11 दिनांक 05 जुलाई, 2019 के संदर्भ में अपने पत्र संख्या-3001/आ0सहा0 नि0प्र0/2019-20 दिनांक 03.06.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपरोक्त बिलों के भुगतान हेतु रु0 29,000/- का बजट आवंटित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 05.07.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूखा से प्रभावित अन्त्योदय परिवारों को जीवन निर्वाह हेतु खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री का वितरण हेतु निविदा/विज्ञापनों के सापेक्ष समाचारपत्र फर्मों को भुगतान हेतु आपके द्वारा मांगी गयी धनराशि रु0 49478/- के सापेक्ष धनराशि रु0 49000/- स्वीकृत की गयी थी। आपके उक्त अनुरोध के क्रम में उक्त अवशेष धनराशि रु0 500/- निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-01-सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव।

संख्या-376 (1)/एक-10-2019-33(36)/2018 टीसी-11, दिनांक: 21 अगस्त 2019

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
- 2- मण्डलायुक्त, मीरजापुर, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
- 5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, सोनभद्र, उ0प्र0।
- 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।